

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ।
मंगलवार, 01 सितम्बर, 1998 / भाद्रपद 10, 1920 [शक]

संख्या : 420

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त उत्तरी जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 31.8.98 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्रीमती कृष्णा तीरथ, सर्वश्री जग प्रवेश चन्द्र, दीप चन्द्र बन्धु राम, वीर सिंह बिधुड़ी, जितेन्द्र कुमार "कालू भैया", टेक चन्द, राज कुमार चौहान, जय किशन, ब्रह्म पाल एवं डा. अशोक कुमार वालिया को उनके 515 समर्थकों के साथ मेटर्कोफ हाउस के सामने से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत सहायक पुलिस आयुक्त, सिविल लाईन, दिल्ली के विधि पूर्ण निर्देशों का पालन न करने पर और यातायात अवरोध करने पर पूर्वाह्न 11.40 बजे नज़रबंद किया गया । उन्हें उसी दिन उनके समर्थकों सहित पूर्वाह्न 11.45 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other matters)
Tuesday, September 01, 1998/Bhadrapad 10, 1920 (Saka)

No. 420

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, North District, New Delhi on 31.08.1998 :-

" I have the honour to inform you that Smt. Krishna Tirath, S/Shri Jag Parvesh Chandra, Deep Chand Bandhu, Ramvir Singh Bidhuri, Jitendra Kumar 'Kalu Bhaiyya', Tek Chand, Raj Kumar Chauhan, Jai Kishan, Brahm Pal, and Dr. A.K. Walia, Members of Delhi Legislative Assembly alongwith their 515 supporters were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Metcalf House, on 28.08.1998 at 11.40 A.M.

They were released on the same day i.e.28.08.1998 at 11.45 A.M."

P.N. GUPTA
SECRETARY